अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सामान्य सूचना :

1. पेटेंट क्या है ?

पेटेंट वह विधायी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी पेटेंटधारी को उसके आविष्कार पर एक सीमित समयावधि के लिए उसके आविष्कार को पूर्णतया व्यक्त करने के बाद प्राप्त होता है जिससे दूसरों को उस पेटेंटकृत उत्पाद या प्रक्रिया के बनाने, इस्तेमाल करने, बिक्री करने, आयात करने या उसकी सहमति के बिना इन उद्देश्यों से उसका उत्पादन करने से रोका जा सके।

2. पेटेंट की समयावधि क्या है?

भारत में प्रत्येक पेटेंट की समयावधि पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष है। हालाँकि, पीसीटी के तहत दाखिल आवेदनों के संदर्भ में 20 वर्षों की समयावधि अंतरराष्ट्रीय दाखिल तारीख से प्रारंभ होती है।

3. भारत में किस अधिनियम से पेटेंट प्रणाली प्रशासित होती है?

भारत में पेटेंट प्रणाली पेटेंट अधिनियिम, 1970 (1970 का सं. 39) यथा संशोधित पेटेंट (संशोधन) अधिनियम 2005 और पेटेंट नियम, 2003 द्वारा प्रशासित होता है। बदलते परिवेश के अनुसार नियमित रूप से पेटेंट नियम संशोधित किए जाते हैं जिसका नवीनतम संशोधन 2016 में हुआ है।

4. क्या भारतीय पेटेंट विश्वव्यापी सुरक्षा प्रदान करता है?

नहीं, पेटेंट सुरक्षा एक क्षेत्रीय अधिकार है और इसी कारण यह केवल भारत की सीमा के भीतर ही प्रभावी होता है। विश्वव्यापी पेटेंट की कोई अवधारणा नहीं है।

हालांकि, भारत में आवेदन दाखिल करने से आवेदक को उसी आविष्कार पर तदनुरूप आवेदन कन्वेंशन देशों में या पीसीटी के तहत भारत में आवेदन करने की तारीख से बारह महीने की समाप्ति के भीतर या पहले, दाखिल करने का अधिकार मिल जाता है। अत: उन प्रत्येक देश में पृथक पेटेंट प्राप्त किया जाना होगा जहाँ आवेदक उन देशों में अपने आविष्कार पर सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है।

5. किस आविष्कार पर पेटेंट प्राप्त किया जा सकता है?

उस आविष्कार पर पेटेंट प्राप्त किया जा सकता है जो एक नवीन उत्पाद या प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें मौलिकता के चरण शामिल है और जिसमें औद्योगिक अनुप्रयोग की संभावना है। हालाँकि, इसे उन आविष्कारों की श्रेणी में नहीं आना चाहिए जो अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत पेटेंट योग्य नहीं है।

6. पेटेंट योग्य होने के मापदंड क्या क्या है?

किसी आविष्कार को पेटेंट योग्य विषय वस्तु होने के लिए निम्नलिखित मापदंड अवश्य पूरा करना चाहिए-

i) वह नवीन होना चाहिए।
ii) उसमें मौलिकता के चरण होने चाहिए या वह अवश्य ही अव्यक्त होना चाहिए।
iii) वह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होना चाहिए।
iv) उसे पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए।

7. किस प्रकार के आविष्कार भारत में पेटेंट योग्य नहीं है?

एक आविष्कार नवीनता, आविष्कारिता और उपयोगिता की शर्तों के अनुरूप हो फिर भी निम्न स्थितियों में पेटेंट योग्य नहीं हो सकता है:

i) कोई आविष्कार जो महत्वहीन हो या जो सुस्थापित प्राकृतिक नियमों से स्पष्टतया विपरीत होने का दावा करें;

ii) कोई आविष्कार जिसका प्राथमिक या आशायित उपयोग या वाणिज्यिक दोहन जन-भावना या नैतिकता के विरुद्ध हो अथवा जिसके परिणामस्वरूप मानव, पशु या पादप जीवन या स्वास्थ्य या परिवेश के प्रति पूर्वाग्रह प्रदर्शित हो;

iii) वैज्ञानिक सिद्धांत या काल्पनिक सिद्धांत की खोज या प्रकृति में पाए जाने वाले किसी सजीव या निर्जीव तत्व की खोज;

iv) किसी ज्ञात तत्व के नए स्वरूप की खोज जिससे उस तत्व की ज्ञात गुण-कारिता में कोई वृद्धि ना हो अथवा किसी ज्ञात तत्व के किसी नए गुण या नए उपयोग अथवा किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या यंत्र का केवल उपयोग प्रदर्शित हो जबकि उस ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई नया उत्पाद ना बने या कम से कम एक नया प्रतिकारक शामिल ना हो;

<u>व्याख्या:</u> इस खंड के आशय हेतु, लवण, ईस्टर, इथर्स, पॉलीमॉर्क्स, मेटाबोलाइट्स, शुद्ध रूप, अणु आकार, आइसोमर्स, आइसोमर्स का मिश्रण, यौगिक और ज्ञात तत्वों के अन्य संजात तत्वों को वही तत्व माना जाएगा जब तक कि उनकी गुण-कारिता में सार्थक परिवर्तन न किया जाय।

v) केवल मिश्रण द्वारा प्राप्त एक पदार्थ जिसमें उसके अवयवों के गुणों का केवल समेलन मात्र हो या उस पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया ;

vi) किसी ज्ञात तरीके से एक दूसरे पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले ज्ञात यंत्रों की केवल व्यवस्थापन या पुर्न-व्यवस्थापन या प्रतिरूपण;

vii) कृषि या बागवानी की कोई पद्धति;

viii) मानव की चिकित्सा की औषधीय, शल्य क्रिया, निदानात्मक, प्रोफाइलेक्टिक (निदानकारी या उपचारात्मक) या अन्य उपचार की कोई प्रक्रिया या पशुओं के समान उपचार की कोई प्रक्रिया जिससे वो रोगमुक्त हो सकें या उनकी अथवा उनके उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ सके;

ix) माइक्रो-ऑर्गेनिज्म के अतिरिक्त कोई पौधा और जंतु का पूर्ण रूप या उनका कोई भाग लेकिन उसमे बीज, प्रजातियाँ और जातियाँ और मुख्य रूप से पादप और जंतुओं के उत्पादन या संचरण की जैविक प्रक्रिया शामिल है;

x) एक गणितीय या व्यवसाय पद्धति या एक कंप्यूटर प्रोग्राम या अलोगरिदम;

xi) कोई साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय या कलात्मक कार्य या कोई अन्य सौंदर्यात्मक रचना जिसमें सिनेमा संबंधी कार्य और टेलीविजन कार्यक्रम शामिल है;

xii) कोई योजना या नियम या मानसिक कार्य करने या खेल खेलने की पद्धति;

xiii) सूचना की प्रस्तुति;

xiv) एकीकृत परिपथ का नक्शा;

xv) एक आविष्कार जो प्रभावी रूप से एक पारंपरिक ज्ञान हो या जो पारंपरिक ज्ञान अवयव या अवयवों का समेलन या प्रतिरूपण मात्र हो;

xvi) आण्विक ऊर्जा से संबंधी आविष्कार।

8. पेटेंट के लिए आवेदन कब दाखिल किया जा सकता है?

पेटेंट के लिए आवेदन बिना देरी किए बहुत जल्दी ही कर देना चाहिए। औपबंधिक विनिर्देश के साथ दाखिल आवेदन जिसमें आविष्कार की प्रकृति का सार वर्णित होता है, उस आविष्कार की प्रायिकता दर्ज करने में सहायक होता है। आवेदन करने में देरी से आवेदन कुछ जोखिम में पड़ सकता है जैसे (i) उक्त आविष्कार पर किसी अन्य आविष्कारक द्वारा पेटेंट आवेदन दाखिल करना और (ii) आविष्कारक द्वारा स्वयं या उनसे अलग किसी और द्वारा आविष्कार का अवांछित प्रकाशन हो जाना।

9. क्या किसी सार्वजनिक प्रदर्शनी में प्रकाशन या प्रदर्शनी के बाद किसी आविष्कार को पेटेंट किया जा सकता है ?

सामान्यतया, उस आविष्कार के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल नहीं किया जा सकता है जिसका या तो प्रकाशन हुआ हो या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन हुआ हो। हालाँकि, पेटेंट अधिनियम पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए किसी जर्नल में उसके प्रकाशन या सरकार द्वारा आयोजित किसी प्रदर्शनी में उसके सार्वजनिक प्रदर्शन या किसी विद्वत समाज के समक्ष उसके प्रकटीकरण या आवेदक द्वारा प्रकाशन की तारीख से 12 महीनों की छूट अवधि का प्रावधान करता है। विस्तृत शर्तें इस अधिनियम के अध्याय VI के तहत प्रदान की गई है (धारा 29-34)।

10. क्या पेटेंट कार्यालय आविष्कार की सूचना को गोपनीय रखता है?

हाँ, सभी पेटेंट आवेदन उनके दाखिल करने की तारीख अथवा प्रायिकता तारीख, जो भी पहले हो, से 18 महीनों तक गोपनीय रखे जाते हैं और इसके बाद उन्हें पेटेंट कार्यालय के शासकीय जर्नल में प्रकाशित किया जाता है जो प्रत्येक सप्ताह प्रकाशित होते हैं और आईपीओ वेबसाइट पर भी उपलब्ध होते हैं। उनके प्रकाशन के बाद आम जनता दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकती है और विहित शुल्क का भुगतान कर उनकी छाया प्रति भी ले सकती है।

11. क्या पेटेंट आवेदन से संबंधित कोई कार्य करने के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय में जाना आवश्यक है?

पेटेंट आवेदन करने के लिए पेटेंट कार्यालय जाना आवश्यक नहीं क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा प्रदान की गई है। केवल ऑफलाइन आवदेन करने की स्थिति में ही व्यक्ति को कार्यालय के काउंटर पर आवेदन जमा करना होगा। सामान्यत: कार्यालय के साथ सभी संवाद ई-मेल के माध्यम से किए जाते हैं। हालाँकि, पेटेंट आवेदन से संबंधित साक्षात्कार कार्यवाही के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर परीक्षकों के साथ पूर्व निर्धारित समय पर किया जा सकता है।

12. प्रकाशित/अनुदानित पेटेंट आवेदन से संबंधित सूचना कहाँ पाई जा सकती है?

पेटेंट आवेदन से संबंधित सूचना प्रत्येक शुक्रवार को जारी होने वाले पेटेंट कार्यालय जर्नल में प्रकाशित की जाती है। यह पेटेंट कार्यालय के वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उपलब्ध है।

13. पेटेंट कार्यालय जर्नल की विषय-वस्तु क्या है?

पेटेंट कार्यालय जर्नल में धारा 11क के तहत प्रकाशित पेटेंट आवेदनों से संबंधित सूचना, अनुदानोत्तर प्रकाशन, पेटेंट का प्रत्यावर्तन, अधिसूचनाएं, विषय-सूची, अकार्यरत पेटेंट की सूची और पेटेंट से संबंधित पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी सूचनाएं, आदि निहित होती हैं।

14. क्या कोई पेटेंट कार्यालय जर्नल की प्रति का नियमित ग्राहक बन सकता है?

पेटेंट कार्यालय जर्नल के लिए किसी प्रकार की भुगतान की आवश्यता नहीं है क्योंकि यह जर्नल ऑन लाइन प्रकाशित होता है और पेटेंट कार्यालय के वेबसाइट www.ipindia.nic.in पर नि:शुल्क उपलब्ध है।

फाइलिंग संबंधी सूचना :

15. पेटेंट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

पेटेंट आवेदन या तो वास्तविक और प्रथम आविष्कर्ता या उनके समनुदेशिती द्वारा या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकता है। हालाँकि, किसी मृत व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि भी पेटेंट हेतु आवेदन कर सकता है।

16. मैं किस प्रकार पेटेंट हेतु आवेदन कर सकता हूँ?

पेटेंट आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय में पूर्ण विनिर्देश या अनंतिम विनिर्देश के साथ अनुसूची I में विहित शुल्क के साथ दाखिल किया जाता है। यदि आवेदन अनंतिम विनिर्देश के साथ दाखिल किया जाता है तो आवेदन दाखिल करने की तारीख से 12 महीनों के भीतर पूर्ण विनिर्देश दाखिल किया जाना होगा। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने के लिए कोई समय विस्तार नहीं होगा।

17. क्या ऑनलाइन प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेटेंट आवेदन दाखिल करने का प्रावधान है?

हाँ, पेटेंट आवेदन हमारी विस्तृत ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली https://ipindiaonline.gov.in/epatentfiling/goForLogin/doLogin के माधयम से की जा सकती है।

18. पेटेंट आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु पंजीकरण किस प्रकार किया जा सकता है?

पेटेंट आवेदन फाइलिंग हेतु पंजीकरण करने के लिए उपयोक्ता को श्रेणी III का डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करना आवश्यक होगा। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद उपयोक्ता अपना उपयोक्ता ID और पासवर्ड बनाकर CGPDTM वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत करा सकता है।

19. डिजिटल हस्ताक्षर कैसे प्राप्त किया जाता है?

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन प्राधिकारी जैसे (n)Code Solutions,TCS और SAFESCRIPT या eMudra से प्राप्त किया जा सकता है।

20. भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट हेतु आवेदन किस भाषा में दाखिल किया जा सकता है?

पेटेंट हेतु आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में दाखिल किया जा सकता है।

21. क्या भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने हेतु कोई क्षेत्राधिकार निर्धारित है?

हाँ, भारत में चार पेटेंट कार्यालय हैं जो कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में स्थित है। प्रत्येक कार्यालय का पृथक क्षेत्राधिकार है। आवेदन दाखिल करने सहित सभी कार्यवाहियों के लिए उपयुक्त कार्यालय सामान्यतया आवेदक/प्रथम उल्लिखित आवेदक के निवास/आवास स्थान/व्यवसाय स्थान/आविष्कार के उद्गम स्थल पर निर्भर करता है। विदेशी आवेदकों के संदर्भ में यह आवेदक द्वारा प्रदत्त भारत में सेवार्थ पते के अनुसार निर्धारित होता है।

22. भारत में कोई आवेदक कब पेटेंट आवेदन वापस ले सकता है?

भारत में पेटेंट आवेदन निम्न प्रकार से वापस लिया जा सकता है :

- आवेदन की तारीख या प्रायिकता की तारीख, जो भी पहले हो, से 15 महीनों के भीतर आवेदन वापस लेने का अनुरोध दाखिल किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रकाशित नहीं किया जाएगा और इसे *वापस लिया गया* मान लिया जाएगा।
- प्रथम परीक्षण रिपोर्ट जारी होने के पहले आवेदक अपना आवेदन वापस ले सकता है। हालाँकि, आवेदन की वापसी पर आवेदक, परीक्षक शुल्क के 90% तक की शुल्क वापसी का ही दावा कर सकता है।
- आवेदन दाखिल करने के बाद कभी भी लेकिन पेटेंट अनुदान के पूर्व कोई आवेदक अपना आवेदन वापस लेने का अनुरोध कर सकता है। आवेदन वापस लेने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ना ही परीक्षण शुल्क वापस किया जाता है।

23. आवेदनों के कितने प्रकार होते हैं?

दाखिल किए जाने वाले आवेदनों के प्रकार हैं:

क) अनंतिम आवेदन

भारतीय पेटेंट विधान 'आवेदन में प्रथम' प्रणाली का अनुसरण करता है। अनंतिम आवेदन तब भी दाखिल किया जा सकता है जब आविष्कार प्रायोगिक चरण में ही हो। अनंतिम विनिर्देश दाखिल करने से आविष्कारक को आविष्कार की प्रायिकता तारीख स्थापित करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, आविष्कारक को अपने आविष्कार को पूरी तरह विकसित करने और उसकी विपणन क्षमता सुनिश्चित करने तथा पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने के लिए 12 महीने का समय भी मिलता है।

ख) सामान्य आवेदन

पेटेंट कार्यालय में पेटेंट हेतु दाखिल आवेदन जिसमें न तो कन्वेंशन देश में किसी प्रायिकता का दावा किया गया हो ना ही किसी अन्य पूर्व आवेदन का संदर्भ दिया गया है। ऐसे आवेदन समान्य आवेदन कहलाते हैं।

ग) **कन्वेंशन आवेदन**

पेटेंट कार्यालय में पेटेंट हेतु दाखिल आवेदन जिस पर एक या अधिक कन्वेंशन देशों में दाखिल उसी या अधिक हद तक समान आवेदन के आधार पर प्रायिकता का दावा किया गया हो, कन्वेंशन आवेदन कहलाता है। कन्वेंशन स्थिति प्राप्त करने के लिए आवेदक को वह आवेदन भारतीय पेटेंट कार्यालय में उस आवेदन को कन्वेंशन देश में प्रथम आवेदन करने की तारीख से 12 महीने के भतीर करना होगा।

घ) **पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन**

पेटेंट सहयोग संधि के तहत प्राप्तकर्ता कार्यालय (RO) के रूप में भारत में दाखिल किया गया कोई आवेदन अंतरराष्ट्रीय आवेदन होता है जो एक ही आवेदन द्वारा 150 से अधिक देशों में दाखिल किया जा सकता है।

ङ) **पीसीटी राष्ट्रीय फेज आवेदन**

जब भारत को नामित करते हुए पीसीटी के अनुसार कोई अंतरराष्ट्रीय आवेदन किया जाता है तो आवेदक अंतरराष्ट्रीय आवेदन तारीख या प्रायिकता तारीख, जो भी पहले हो, से 31 महीने के भीतर भारत में नेशनल फेज आवेदन दाखिल कर सकता है।

च) **अतिरिक्त पेटेंट**

जब कोई आविष्कार उस पूर्व आविष्कार का एक छोटा संशोधन हो जिसके लिए आवेदन दाखिल किया गया है अथवा पेटेंट प्राप्त कर लिया गया है, उसके लिए आवेदक अतिरिक्त पेटेंट दाखिल कर सकता है यदि आविष्कार का संशोधन नवीन हो। अतिरिक्त पेटेंट दाखिल करने का एक लाभ यह है कि मुख्य पेटेंट की पूरी अवधि के दौरान इसके लिए कोई पृथक नवीकरण शुल्क नहीं देना होता और यह मुख्य पेटेंट के साथ ही समाप्त हो जाता है।

छ) **डिविजिनल आवेदन**

जब कोई आवेदन एक से अधिक आविष्कार का दावा करता है तो आवेदक स्वयं या विविधता अथवा पृथक आविष्कार होने के आधार पर शासकीय आपत्ति को पूरा करने के लिए आवेदन को विभाजित कर दो या अधिक आवेदन, उस प्रत्येक आविष्कार के लिए जैसा भी संदर्भ हो, दाखिल कर सकता है। मुख्य पेटेंट से अलग किए गए इस प्रकार के आवेदन डिविजिनल आवेदन कहलाते हैं। सभी डिविजिनल आवेदनों की प्रायिकता तारीख उनके मुख्य (पूर्व-तारीख) आवेदन की तारीख ही होगी।

24. क्या अनंतिम आवेदन दाखिल करना आवश्यक है?

सामान्यत: अनंतिम विनिर्देश के साथ दाखिल आवेदन अनंतिम आवेदन कहलाता है जो आपके आविष्कार की प्रायिकता तारीख निश्चित करने में उपयोगी है। साथ ही साथ अनंतिम आवेदन दाखिल करना इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे आवेदक को पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने के पहले अपने आविष्कार की बाजार क्षमता का आकलन और मूल्यांकन करने का पर्याप्त समय मिल जाता है। हालाँकि, अनंतिम विनिर्देश के साथ आवेदन दाखिल करना आवश्यक नहीं है और पूर्ण विनिर्देश के साथ ही आवेदन दाखिल किया जा सकता है।

25. पेटेंट आवेदन कब प्रकाशित किया जाता है?

प्रत्येक आवेदन उनके दाखिल करने की तारीख अथवा प्रायिकता तारीख, जो भी पहले हो, से 18 महीनों के बाद प्रकाशित किए जाते हैं। हालाँकि, निम्नलिखित आवेदन प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

क) वह आवेदन जिसमें गोपनीयता निदेश लागू है
ख) वह आवेदन जिसे धारा 9(1) के तहत परित्यक्त कर दिया गया है और
ग) वह आवेदन जिसे 18 महीने से 3 महीने पहले वापस ले लिया गया है।

26. क्या कानून में पूर्व प्रकाशन का प्रावधान है?

हाँ, आवेदक फार्म 9 पर विहित शुल्क के साथ पूर्व प्रकाशन हेतु अनुरोध कर सकता है ऐसा अनुरोध प्राप्त होने के बाद पेटेंट कार्यालय 1 महीने के भीतर उस आवेदन का प्रकाशन कर देता है बशर्ते कि उस आवेदन में निहित आविष्कार आण्विक ऊर्जा या रक्षा मामलों से सम्बद्ध न हो।

27. आवेदक के लिए शुल्क का भुगतान करने की क्या सुविधा है?

आवेदक शुल्क का भुगतान या तो नकद काउंटर पर हमारे विशद् भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं जिसमें नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड शामिल है। 70 बैंकों से अधिक बैंक इस भुगतान गेटवे के भागीदार हैं।

28.भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए किन फॉर्म की आवश्यकता होती है?

सामान्यतया, आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक के लिए फॉर्म 1 जो आवेदन करने का अनुरोध है और फॉर्म 2 या तो अनंतिम विनिर्देश या पूर्ण विनिर्देश या आरेख, यदि कोई हो, के लिए करना आवश्यक है। इसके साथ-साथ, आविष्कारक का सार भी आवश्यक है। यदि आवेदन किसी पंजीकृत पेटेंट एजेंट के माध्यम से की जाय तो उक्त पेटेंट के समर्थन में फॉर्म 26 पर प्राधिकार शक्ति दी जानी अपेक्षित है। हालांकि, विभिन्न

परिस्थितियों के आधार पर निम्न फॉर्म भी दाखिल किए जा सकते हैं। आवेदन का परीक्षण फॉर्म 18 पर परीक्षण हेतु अनुरोध की प्राप्ति के बाद ही किया जा सकता है। आवश्यक फॉर्म की सूची नीचे दी गए हैं:-

फॉर्म 1	• पेटेंट अनुदान हेतु आवेदन • इसमें वैधानिक सूचना जैसे नाम, आवेदक का संपर्क विवरण, आविष्कार, प्रायिकता तारीख आदि होते हैं। इसके साथ अनंतिम या पूर्ण विनिर्देश (फॉर्म 2) संलग्न होगा।
फॉर्म 2	• इसमें आविष्कार के साथ-साथ शीर्षक, क्षेत्र, आधार, पूर्व कला, ज्ञात आविष्कारों की कमियाँ, विवरण, प्रयोग के परिणाम, आरेख, आविष्कार के सार आदि शामिल हैं। पूर्ण विनिर्देश में दावे आविष्कार की विधिक सीमाएँ हैं।
फॉर्म 3	• विदेशी आवेदनों का कथन और वचन • आविष्कार के विवरण संबंधी सूचना यदि विदेश में दाखिल किया गया है और पेटेंट कार्यालय को वचन देकर यह सूचित करना कि वह आवेदन विदेश में कब दाखिल किया गया था।
फॉर्म 5	• आविष्कारिता की उद्घोषणा। • आवेदक सभी आविष्कारकों के नाम बताएगा। यह सामान्यतया प्रयुक्त होता है जब अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण विनिर्देश (12 महीने) के भीतर दाखिल किया जाता है।
फॉर्म 18	• पेटेंट आवेदन के परीक्षण हेतु अनुरोध • यह फॉर्म आवेदन दाखिल करने के 48 महीनों के भीतर कभी भी दाखिल किया जा सकता है। यह फॉर्म आवेदन करते समय भी दाखिल किया जा सकता है। इस फॉर्म को दाखिल किए बना पेटेंट आवेदन का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
फॉर्म 18 क	• पेटेंट आवेदन के त्वरित परीक्षण का अनुरोध दाखिल किया जा सकता है यदि, • आवेदक भारत को सक्षम अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के रूप में इंगित करता है या परवर्ती अंतरराष्ट्रीय आवेदन में भारत का चयन अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में करता है; या • आवेदक एक स्टार्ट अप है।
फॉर्म 26	• पेटेंट एजेंट के प्राधिकार का फॉर्म • यह फॉर्म तब आवश्यक है जब आवेदक किसी पेटेंट एजेंट को उसकी तरफ से पेटेंट कार्यालय में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है।
फॉर्म 9	• पूर्व प्रकाशन हेतु अनुरोध • यह फॉर्म आवश्यक है यदि आवेदक आवेदन करने से 18 महीनों के पहले ही अपना आवेदन प्रकाशित करवाना चाहता है।

29. भारत में पेटेंट आवेदन पर कार्यवाही करते समय उचित किस समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए?

पेटेंट आवेदन पर कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए।

अनंतिम विनिर्देश के बाद पूर्ण विनिर्देश दाखिल करना (फॉर्म 2)	• अनंतिम विनिर्देश दाखिन करने के 12 महीने के भीतर

विदेशी आवेदनों के संदर्भ में कथन और वचन (फॉर्म 3)	• आवेदन दाखिल करने की तारीख से 6 महीने के भीतर
परीक्षण हेतु अनुरोध (फॉर्म 18)	• आवेदन करने की तारीख या प्रायिकता, जो भी पहले हो, से अड़तालीस महीने
आविष्कारिता की उद्घोषणा (फॉर्म 5)	• पूर्ण विनिर्देश के साथ या पूर्ण विनिर्देश दाखिल करने की तारीख से एक महीने के भीतर
प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (FER) का उत्तर देने का समय	• FER जारी करने की तारीख से 6 महीने जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। कुल 9 महीने।
अनुदान पूर्व विरोध (फॉर्म 7 क)	• आवेदन के प्रकाशन के बाद और पेटेंट अनुदान के पहले कभी भी
अनुदानोत्तर विरोध (फॉर्म 7)	• पेटेंट अनुदान के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष
जैविक पदार्थों को जमा करने का संदर्भ	• आवेदन दाखिल करने की तारीख से 3 महीने के भीतर
पेटेंट जारी रहने से संबंधी सूचना प्रदान करना (फॉर्म 27)	• पेटेंटकृत आविष्कारों का किसी कैलेंडर वर्ष में जारी रहने संबंधी कार्यकारी कथन प्रत्येक अनुदानित पेटेंट के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की समाप्ति अर्थात प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से 3 महीने के भीतर दाखिल करना आवश्यक है। अत: कैलेडर वर्ष 2017 के लिए कार्यकारी कथन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 है।

30. क्या एक बार दाखिल करने के बाद पेटेंट आवेदन का स्वयमेव परीक्षण होता है?

पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बाद उसका स्वयमेव परीक्षण नहीं होता है। परीक्षण या तो आवेदक या तीसरे पक्ष से फॉर्म 18 पर परीक्षण हेतु अनुरोध अथवा त्वरित परीक्षण के लिए फॉर्म 18क प्राप्त होने के बाद ही किया जाता है (नियमों में यथा विहित शर्तों के अधीन)।

31. परीक्षण हेतु अनुरोध कब दाखिल किया जा सकता है?

परीक्षण हेतु अनुरोध प्रायिकता तारीख या आवेदन दाखिल करने की तारीख, जो भी पहले हो उसे 48 महीने की अवधि के भीतर दाखिल किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यथा संशोधित पेटेंट नियम, 2003 के नियम 24ख का संदर्भ लिया जा सकता है।

32. क्या त्वरित परीक्षण हेतु कोई प्रावधान है?

हाँ, 2016 में यथा संशोधित पेटेंट नियम के नियम 24ग के अनुसार त्वरित परीक्षण का अनुरोध फॉर्म 18क पर विहित शुल्क एवं प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा दाखिल किया जा सकता है जिसका विधिवत प्रमाणीकरण 24ख में विहित अवधि के भी निम्न आधार पर किया जाएगा, जैसे:

(क) भारत को सक्षम अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी के रूप में इंगित किया गया है या इसका चयन परवर्ती अंतरराष्ट्रीय आवेदन में अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में किया गया है; या

(ख) आवेदक एक स्टार्ट-अप है।

33. परीक्षण के बाद पेटेंट आवेदन का क्या होता है?

परीक्षण के बाद पेटेंट कार्यालय आवेदक को एक परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करती है जिसे सामान्यत: प्रथम परीक्षण रिपोर्ट (एफईआर) कहा जाता है। तत्पश्चात आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि एफईआर की तारीख से बारह महीनों की अवधि के भीतर वह आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। यदि आवेदन को अनुदान योग्य पाया गया तो पेटेंट अनुदान दिया जाता है बशर्ते कि कोई अनुदान पूर्व विरोध दाखिल न किया गया हो या लंबित न हो। आवेदक को एक पत्र पेटेंट जारी किया जाता है। हालाँकि, किसी अनुदान पूर्व विरोध के लंबित रहने की स्थिति में उस अनुदान पूर्व विरोध का निपटान करने के बाद ही अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

34. जब आवेदक निर्धारित समय के भीतर अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पता तब क्या होता है?

यदि आवेदक 6 महीने के भीतर अपेक्षाओं की पूर्ति करने या 3 माह का विस्तार पाने में असफल रहता है, तो उस आवेदन को परित्यक्त हुआ सा मान लिया जाता है।

35. क्या 9 महीने की समय सीमा के बाद विस्तार का प्रावधान है?

नहीं, उक्त अवधि के बाद समय विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है।

36. क्या आवेदक उसका आवेदन अस्वीकृत किए जाने से पहले सुनवाई का अवसर पाता है?

यदि आवेदक ने निर्धारित समय के भीतर अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया हो और आवेदक द्वारा सुनवाई हेतु अनुरोध नहीं किया गया हो तो नियंत्रक सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर सकता है। हालाँकि, नियंत्रक उस आवेदक को उसका आवेदन अस्वीकृत करने से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। यदि आवेदक द्वारा ऐसी सुनवाई का अनुरोध वैधानिक अवधि की समाप्ति से कम से कम 10 दिन पहले कर दिया जाए।

37. अनुदान पूर्व विरोध के लिए अभ्यावेदन दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

धारा 11क के तहत आवेदन के प्रकाशन की तारीख से छ: महीने के भीतर या पेटेंट अनुदान के पहले, अनुदान-पूर्व विरोध के लिए अभ्यावेदन पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 25(1) के तहत दाखिल किया जा सकता है।

38. क्या अनुदानपूर्व विरोध के लिए ऐसा अभ्यावेदन दाखिल करने हेतु कोई शुल्क निर्धारित है?

अनुदान-पूर्व विरोध के लिए अभ्यावेदन दाखिल करने हेतु कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

39. अनुदान-पूर्व विरोध के लिए अभ्यावेदन दाखिल करने हेतु क्या आधार है?

अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल करने हेतु आधार पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 25(1) में निहित है।

40. क्या परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल नहीं होने पर भी अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल करना संभव है?

हाँ, परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल नहीं होने पर भी अनुदान-पूर्व विरोध के लिए अभ्यावेदन दाखिल करना संभव है। हालाँकि, इस अभ्यावेदन पर केवल तब ही विचार किया जाएगा जब परीक्षण हेतु अनुरोध निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त हो जाए।

41. पेटेंट कार्यालय में अनुदानोत्तर विरोध दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

अनुदानोत्तर विरोध दाखिल करने का समय पेटेंट कार्यालय के शासकीय जर्नल में पेटेंट अनुदान के प्रकाशन की तारीख से 12 महीने है।

42. क्या अनुदानोत्तर विरोध दाखिल करने के लिए कोई शुल्क है?

हाँ, अनुदानोत्तर विरोध विहित फॉर्म 7 पर (पेटेंट नियम, 2003 की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विहित) शुल्क के साथ दाखिल किया जाना चाहिए। अनुदानोत्तर विरोध केवल इच्छुक व्यक्ति द्वारा दाखिल होना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं।

43. अनुदानोत्तर विरोध दाखिल करने का क्या आधार है?

अनुदानोत्तर विरोध दाखिल करने हेतु आधार पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 25(2) में निहित है।

पेटेंट आवेदन का जीवन चक्र

1. पेटेंट प्रवाह चार्ट

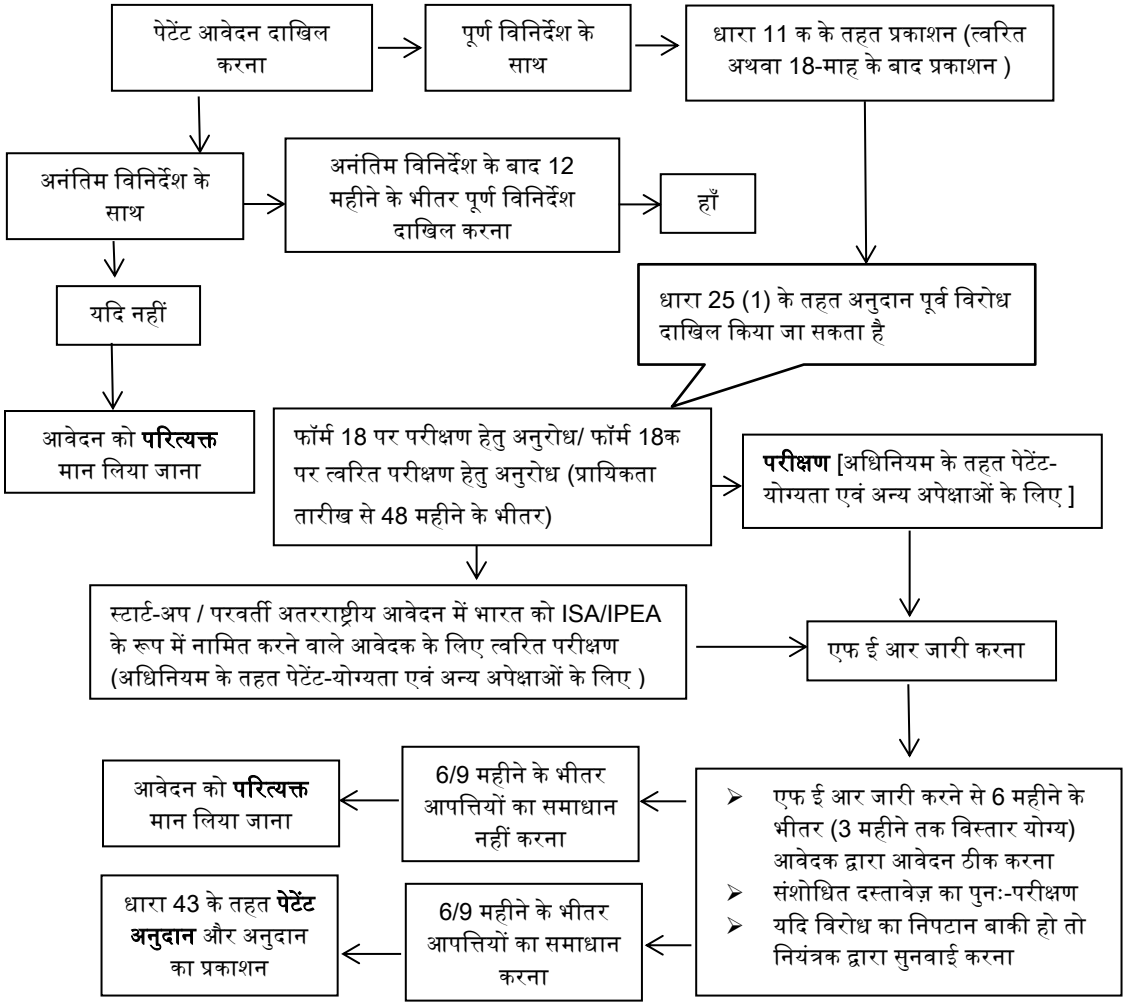

अन्य सूचना:

44. www.ipindia.nic.in पर ई-फाइलिंग की क्या सुविधा उपलब्ध है?

आवेदक के लिए ई-फाइलिंग की निम्न सुविधा उपलब्ध है:

- पेटेंट और डिजाइन के लिए विस्तृत ई-फाइलिंग सुविधा;
- विस्तृत भुगतान गेट-वे जिनमें नेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान शामिल है
- वेब आधारित साधारण पंजीकरण प्रक्रिया और आवेदन कार्यवाही
- IPO पेटेंट डाटाबेस द्वारा उसी समय सत्यापन
- उपयोक्ता प्रोफाइल और फोल्डर का प्रबंधन
- ऑनलाइन फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन फाइलिंग की तुलना में ऑनलाइन फाइलिंग पर 10% शुल्क की कमी
- केवल ई-फाइलिंग के माध्यम से त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध।

45. क्या पेटेंट कार्यालय पेटेंट के लिए उपयोक्ता खोजने में सहायता करता है?

पेटेंट अनुदान पर पेटेंट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। चूँकि पेटेंट वैयक्तिक अधिकार है, पेटेंटधारी ही चाहे स्वयं या किसी लाइसेंसधारी के माध्यम से पेटेंट के वाणिज्यिकरण के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, पेटेंट से संबंधित सूचना पेटेंट कार्यालय जर्नल में प्रकाशित की जाती है और पेटेंट कार्यालय के वेबसाइट पर भी प्रकाशित होती है जो पूर्व विश्व में आम जनता के लिए उपलब्ध होती है। इससे निश्चित रूप से आवेदक को संभावित उपयोक्ता अथवा लाइसेंसधारी का धन आकृष्ट करने में सहायता मिलती है। पेटेंट कार्यालय ऐसे पेटेंट की सूची भी तैयार करती है जो भारत में वाणिज्यिक रूप से कार्यरत नहीं है।

46. क्या भारतीय पेटेंट डाटाबेस खोज योग्य है? कोई यह कैसे पता करे कि कोई आविष्कार पहले से ही पेटेंटीकृत है कि नहीं?

संबद्ध व्यक्ति भारतीय पेटेंट डाटाबेस पर नि:शुल्क खोज संचालित कर सकता है जिसमें प्रकाशित पेटेंट आवेदन और अनुदानित पेटेंट शामिल हैं। उक्त डाटाबेस पेटेंट कार्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है जैसे कि PASS में http://ipindiaservoces.gov.in/publicsearch . इसके अतिरिक्त हमारे वेबसाइट (www.ipindia.nic.in) पर डायनामिक यूटिलिटी के तहत कई नवीन तरीके हैं जिससे पेटेंट आवेदनों की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की सूचना प्रदान की जाती है।

47. क्या किसी व्यक्ति या किसी विधिक सत्ताधारी द्वारा पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए शुल्क की राशि में कोई अंतर है?

हाँ, किसी व्यक्ति, स्टार्ट-अप, एसएमई और विधिक सत्ताधारी के लिए पृथक शुल्क का प्रावधान है। विस्तृत विवरण पेटेंट नियम, 2003 की प्रथम अनुसूची से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

48. पेटेंट अनुदान के बाद पेटेंटग्राही का दायित्व क्या है?

पेटेंट अनुदान के बाद प्रत्येक पेटेंटग्राही को अनुसूची 1 में यथा विहित नवीकरण शुल्क का प्रत्येक वर्ष भुगतान करते हुए पेटेंट को जारी रख सकता है। नवीकरण शुल्क तीसरे वर्ष के बाद उतरोत्तर वर्षों के लिए संदेय है। नवीकरण शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में पेटेंट समाप्त हो जाएगा।

49. क्या पेटेंटग्राही को नवीनकरण शुल्क का भुगतान एक साथ करना होगा अथवा प्रत्येक वर्ष?

पेटेंटग्राही के पास नवीकरण शुल्क प्रत्येक वर्ष भुगतान करने का विकल्प होता है अथवा वह एक साथ भी इसका भुगतान कर सकता है।

50. पेटेंट की समाप्ति के बाद उसे कब प्रत्यावर्तित किया जा सकता है?

पेटेंट के प्रत्यावर्तन हेतु अनुरोध पेटेंट समाप्ति की तारीख से 18 महीनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ दाखिल किया जा सकता है। अनुरोध प्राप्त होने के बाद तथ्यों को शासकीय जर्नल में अधिसूचित कर उस अनुरोध पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

51. पेटेंट एजेंट का क्या अर्थ है और पेटेंट एजेंट बनने की योग्यता क्या है?

पेटेंट एजेंट भारतीय पेटेंट कार्यालय में पंजीकृत वह व्यक्ति है जिसका नाम पेटेंट कार्यालय द्वारा आयोजित पेटेंट एजेंट परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद पेटेंट रजिस्टर में लिखा जाता है और जो हकदार है-

(क) नियंत्रक के समक्ष कार्य करने के लिए; और

(ख) इस अधिनियम के तहत नियंत्रक के समक्ष किसी कार्यवाही से सम्बद्ध यथा विहित सभी दस्तावेज तैयार करने, सभी कार्य सम्पादित करने और अन्य गतिविधियाँ निष्पादित करने के लिए।

52. पेटेंट एजेंट के रूप में पंजीकरण के लिए योग्यता शर्तें निम्नवत् हैं-

कोई व्यक्ति अपना नाम पेटेंट एजेंट के रजिस्टर में प्रविष्ट कराने के योग्य होगा यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, यथा-

(क) वह भारत का नागरिक है;

(ख) वह 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है;

(ग) उसने विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भारतीय भू क्षेत्र में प्रभावी समय-सीमा के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री प्राप्त किया है अथवा वैसी कोई समकक्ष योग्यता रखता है जो केन्द्रीय सरकार ने इसके बदले वर्णित की हो, और

इसके साथ साथ-

(i) इस उद्देश्य के लिए निर्धारित योग्यता परीक्षा पास कर चुका है; या

(ii) कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए या तो परीक्षक के रूप में कार्य किया हो या धारा 73 के तहत नियंत्रक के कर्तव्यों का निर्वहन किया हो या दोनों, किन्तु अब ऐसे किसी पद पर न हो।

53. क्या पेटेंट हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए किसी पंजीकृत पेटेंट एजेंट की सेवा लेना आवश्यक है?

पेटेंट कानून के तहत पेटेंट हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए किसी पंजीकृत पेटेंट एजेंट की सेवा लेना आवश्यक नहीं है। आवेदक स्वयं अथवा पेटेंट एजेंट के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। हालाँकि, वह आवेदक जो भारत का नागरिक न हो उसे या तो किसी पंजीकृत पेटेंट एजेंट के माध्यम से आवेदन दाखिल करना होगा या भारत में सेवार्थ पता अवश्य देना होगा।

54. क्या पेटेंट कार्यालय पेटेंट खोज करने अथवा पेटेंट आवेदन तैयार करने और कार्यवाही करने के लिए किसी पेटेंट एटॉर्नी या एजेंट के चयन में सहायता करता है?

नहीं, पेटेंट कार्यालय पेटेंट एजेंट के चयन संबंधी कोई अनुशंसा नहीं करता है। हालाँकि, आवेदक कार्यालय द्वारा बनाए पेटेंट एजेंट की सूची में से किसी पेटेंट की सूची में किसी पेटेंट एजेंट को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यह सूची पेटेंट कार्यालय वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है।

55. क्या पेटेंट कार्यालय पेटेंट एजेंट द्वारा उनकी सेवाओं के लिए माँगें गए शुल्क निर्धारित करता है?

नहीं, यह आवेदक और पेटेंट एजेंट के बीच का मामला है। पेटेंट एजेंट द्वारा माँगें गए शुल्क के निर्धारण या सहायता में पेटेंट कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है। हालाँकि, स्टार्टअप को पेटेंट आवेदन दाखिल करने में सहायता करने के लिए पेटेंट कार्यालय ने फेसिलिटेटर्स का नामांकन किया है और एक निर्धारित सीमा तक शुल्क प्रतिपूर्ति का प्रावधान SIPP योजना के तहत किया है। योजना का विवरण www.ipindia.nic.in पर देखा जा सकता है।

56. क्या भारत से बाहर या विदेश में पेटेंट हेतु आवेदन दाखिल करने के लिए पेटेंट कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

साधारणत:, विदेश में पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए पेटेंट कार्यालय से निम्नलिखित परिस्थितियों में पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(क) आवेदक भारत का निवासी नहीं हो और आविष्कार विदेश में उद्गमित हो।

(ख) यदि आवेदक भारत का निवासी हो तो भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल किया गया हो और उस तारीख से छ: सप्ताह की अवधि समाप्त हो चुकी हो।

(ग) वह आविष्कार आण्विक ऊर्जा अथवा रक्षा मामलों से सम्बद्ध न हो।

57. किन परिस्थितियों में पेटेंट कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है?

निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यक्ति को पेटेंट कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(क) आवेदक भारत का निवासी हो और आविष्कार भारत में उद्गमित हो,

(ख) आवेदक विदेश में आवेदन करने के पहले भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने का इच्छुक न हो।

(ग) यदि आवेदक भारत का निवासी हो तो पेटेंट आवेदन भारत में दाखिल किया गया हो और उस तारीख से छ: सप्ताह की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई हो।

हालाँकि, प्रतिरक्षा और आण्विक ऊर्जा उद्देश्य से संबद्ध आविष्कार पर केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना कोई अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

58. क्या माइक्रोबायोलॉजिकल आविष्कारों के संदर्भ में पेटेंट आवेदन दाखिल करने की कोई अतिरिक्त आवश्यकता है?

पेटेंट आवेदन दाखिल करते समय दाखिल करने के लिए आवश्यक विभिन्न फॉर्म के साथ-साथ आवेदक के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म के नवीन स्ट्रेन को, यदि उसका प्रयोग पेटेंट विनिर्देश में प्रकट आविष्कार में हुआ है, एक मान्यता प्राप्त डिपोजिटरी में, पेटेंट आवेदन करने से पहले, जमा कराना आवश्यक है जो इन माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए एक पंजीकरण संख्या प्रदान करता है। इस संख्या का उल्लेख पेटेंट आवेदन में करना होगा।

59. क्या उन आविष्कारकों के लिए पेटेंट आवेदन दाखिल करने के संदर्भ में कोई विशेष निर्देश है जहाँ उनका आविष्कार जैविक पदार्थ से संबंधित है?

पेटेंट अधिनियम, 1970 और जैविक विविधता अधिनियम, 2002 यह निर्दिष्ट करता है कि जैविक पदार्थ के स्रोत और भौगोलिक उद्गम का स्पष्ट उल्लेख पेटेंट विनिर्देश में करना होगा। साथ ही, जैविक विविधता

अधिनियम की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार यदि आविष्कार में प्रयुक्त जैविक पदार्थ भारत से है तो आवेदक द्वारा राष्ट्रीय जैविक प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा और इसे पेटेंट अनुदान से पूर्व पेटेंट कार्यालय में इसे प्रस्तुत करना होगा।

60. क्या जैविक पदार्थ अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी ऑथोरिटी में जमा करना आवश्यक है?

यदि आविष्कार किसी ऐसी जैविक पदार्थ का प्रयोग करता है जो नया है तो भारत में आवेदन दाखिल करने से पूर्व अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी ऑथोरिटी (आईडीए) में उसे जमा कराना आवश्यक है ताकि विवरण को सहायता मिल सके। विनिर्देश के विवरण में उस अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी ऑथोरिटी का नाम और पता और उस जैविक पदार्थ को जमा करने की तारीख और संख्या प्रदान की जानी चाहिए। यदि वह जैविक पदार्थ पहले से ज्ञात है तो ऐसी स्थिति में उसे जमा कराना आवश्यक नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए www.ipindia.nic.in पर लॉग ऑन करें।

61. क्या भारत में कोई अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी ऑथोरिटी है?

हाँ, भारत में एक अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी ऑथोरिटी है जो चंडीगढ़ में अवस्थित है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्राविएल टेक्नोलॉजी (IMTECH) के नाम से जाना जाता है। इस डिपोजिटरी ऑथोरिटी के बारे में अधिक विवरण उसके वेबसाइट http://imtech.res.in/ से प्राप्त की जा सकती है।

62. किन परिस्थितियों में शुल्क वापस किया जा सकता है?

पेटेंट अधिनियम, 2016 में हुए संशोधन के अनुसार नियम 7 के उप-नियम (4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि नियंत्रक आश्वस्त हो कि ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के दौरान एक ही कार्यवाही के लिए एक से अधिक बार शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो अतिरिक्त शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

हाल में जोड़ा गया उप-नियम 4क यह प्रावधान करता है कि उस पेटेंट आवेदन को वापस लेने के मामले में जहाँ परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल किया गया है लेकिन विरोध का प्रथम कथन जारी नहीं किया गया है, वहाँ अत्वरित या त्वरित परीक्षण अनुरोध के लिए 90% शुल्क आवेदक को वापस की जा सकती है यदि वह हाल में जोड़े गए फॉर्म 29 (जिसके लिए शुल्क शून्य है) पर अनुरोध करता/करती है।

63. क्या कोई नया फॉर्म लाया गया है?

पेटेंट संशोधन अधिनियम, 1970 यथा संशोधित 2016 द्वारा नए फॉर्म 18क, 29 और 30 लाए गए हैं।

64. मुख्तारनामा दाखिल करने के लिए क्या परिवर्तन किए गए हैं?

अब, मुख्तारनामा दाखिल करने की समय-सीमा पेटेंट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 3 महीने हैं जिसके ना होने पर उन आवेदनों या दस्तावेज पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि इस कमी को पूरा ना कर लिया जाय।

65. सुनवाई स्थगन के संदर्भ में क्या कोई सीमा निर्धारित की गई है?

संशोधन नियम, 2016 सुनवाई स्थगन की संख्या दो रखने की सीमा निर्धारित करता है और प्रत्येक स्थगन तीस दिनों से अधिक के नहीं होने चाहिए। इन स्थगनों के लिए अनुरोध सुनवाई की तारीख से कम-से-कम तीन दिन पहले किया जाना चाहिए।

66. अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के आधार पर राष्ट्रीय फेज आवेदन के संदर्भ में क्या कोई संशोधन किया गया है?

नियम 20 का संशोधन किया गया है जो उस आवेदन की व्याख्या करता है जो अंतरराष्ट्रीय आवेदन है। यह स्पष्ट करता है कि पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय आवेदन के रूप में दाखिल किए जाने वाले आवेदन में पीसीटी की धारा 19 या धारा 34 के तहत किए गए संशोधन शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वह आवेदन करते समय आवेदक नियम 14 के अनुसार दावा हटा दे।

67. इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी पेटेंट एजेंट के लिए क्या निर्देश है?

अब पेटेंट एजेंट उन दस्तावेज को भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्केन प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं जिसकी मूल प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है और फिर 15 दिनों के भीतर मूल दस्तावेज अवश्य दाखिल किया जाएगा।

पेटेंट एजेंट द्वारा निम्न दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल करने के बाद मूल प्रति भी दाखिल करना होगा:

i) पटेंट एजेंट का प्राधिकार या मुख्तारनामा
ii) आवेदन करने के अधिकार का प्रमाण
iii) समनुदेशन डीड, आवेदक के नाम के परिवर्तन संबंधी प्रमाणपत्र, लाइसेंस समझौता
iv) आविष्कारिता की उद्घोषणा
v) प्रायिकता दस्तावेज

68. क्या आई पी आर विषयक कोई योजना MSME's और स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध है?

हाँ, भारत सरकार ने MSME और स्टार्टअप से आने वाले आविष्कारकों की आविष्कार दक्षता प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं बनाई है।

i) MSME : बड़े उद्यमों की तुलना में MSME को पेटेंट आवेदन शुल्क पर 50% की छूट दी जाती है।

ii) स्टार्ट-अप की सुविधा के लिए योजना स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा सुरक्षा (SIPP) का शुभारंभ स्टार्ट-अप की आविष्कारिता और रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महानियंत्रक, एकस्व, अभिकल्प और व्यापार चिह्न (सीजीपीडीटीएम) ने सुविधकर्ताओं की एक सूची तैयार की है। वर्तमान में इस योजना के तहत 423 एकस्व एवं अभिकल्प एवं 606 सुविधाकर्ता व्यापार चिह्न के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। स्टार्ट-अप को विधायी संस्थाओं द्वारा भुगतान किए जाने वाले पेटेंट शुल्क की तुलना में 80% की छूट दी जाती है।

69. स्टार्ट-अप मानदंड क्या है?

स्टार्ट-अप का अर्थ वह उद्यम है जो भारत सरकार की पहल 'स्टार्ट-अप इंडिया: स्टैंड-अप इंडिया' के तहत निर्मित या पंजीकृत हो।

70. पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टार्ट-अप आवेदनों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है?

भारत में पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लिए भारत सरकार स्टार्ट-अप बौद्धिक संपदा सुरक्षा (SIPP) सुविधा प्रदान कराने की योजना के तहत स्टार्ट-अप को निम्न सुविधाएं उपलब्ध करा रही है:

- भारत सरकार की 'स्टार्ट-अप इंडिया : स्टैंड-अप इंडिया' पहल के तहत योग्य पाए गए उद्यमों को त्वरित परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- सरकार स्टार्ट-अप को पेटेंट आवेदन दाखिल करने और उस पर कार्यवाही में सहायता करने के लिए सुविधाकर्ताओं के खर्चे की रु.10,000/- तक की क्षतिपूर्ति करती है।

71. उल्लंघन संभावना के लिए संगत तारीख क्या है?

धारा 11क के अनुसार, आवेदक को विशेषाधिकार होगा जैसे कि उसे आवेदन प्रकाशन की तारीख को ही पेटेंट अनुदान प्राप्त हो गया है। इसलिए उल्लंघन के लिए मामला दायर करने की स्थिति में पेटेंटधारी अपने नुकसान का दावा पेटेंट आवेदन के प्रकाशन की तारीख या उल्लंघन की तारीख, जो भी पहले हो, से कर सकते हैं। हालांकि, उल्लंघन का मामला केवल पेटेंट अनुदान के बाद ही दाखिल किया जा सकता है।

72. पेटेंट अनुदान के बाद पेटेंटधारी के क्या अधिकार होते हैं?

एक पेटेंटधारी पेटेंटकृत आविष्कार के निर्माण और उपयोग का अनन्य अधिकार रखता है। पेटेंटधारी के पास किसी भी मूल्य पर उस पेटेंट का अधिकार देने, लाइसेंस अनुदानिता करने या कोई अन्य कार्य करने का अधिकार रहता है। विधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों को पेटेंट अधिनियम, 1970 के तहत यथा निहित विभिन्न शर्तों और सीमाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

73. क्या अनुदान के बाद पेटेंट का जारी रहना प्रदर्शित करना आवश्यक है?

धारा 146 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक पेटेंटधारी या लाइसेंसधारी के लिए पेटेंट का जारी रहने संबंधी सूचना प्रदान आवश्यक है और यह कथन कि किस प्रकार पेटेंटकृत आविष्कार कार्य कर रहा है। यह सूचना फॉर्म 27 पर बीते वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही के लिए प्रत्येक वर्ष के दौरान 31 मार्च तक अवश्य प्रदान करनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था:

74. बुडापेस्ट संधि क्या है?

यह वाइपो द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय अनुमोदन प्राधिकारी के समक्ष माइक्रोऑर्गेनिज्म, सेल लाइन आदि जमा कराने संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य इसके पक्षकार रहे किसी देश में पेटेंट आवेदन करना है। इसकी कठिनाई और कई अवसरों पर माइक्रोऑर्गेनिज्म को पेटेंट आवेदन में उसके वर्णन के अनुसार पुन: प्रदान करना असंभव होने के कारण एक तंतु को जाँच और दूसरों द्वारा परीक्षण के लिए कल्चर संग्रह केंद्र में जमा करा देना आवश्यक है। कई देशों में कई अंतरराष्ट्रीय डिपोजिटरी हैं, जिसे बुडापेस्ट संधि के तहत मान्यता प्राप्त है। भारत की मान्यता प्राप्त डिपोजिटरी IMTECH चंडीगढ़ में है।

75. विदेशों में पेटेंट आवेदन दाखिल करने के कितने तरीके हैं?

पेटेंट के विश्वव्यापी नहीं होने के कारण आवेदक को अपने आविष्कार पर सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सभी देशों में अलग-अलग पेटेंट आवेदन दाखिल करना होता है। विदेशों में अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक के पास निम्न माध्यम उपलब्ध होते हैं।

पेरिस कन्वेंशन: 1883 में स्थापित औद्योगिक संपदा की सुरक्षा हेतु पेरिस कन्वेंशन पूर्ववर्ती आवेदन दाखिल करने की तारीख से 12 महीनों के भीतर सदस्य देशों में पेटेंट आवेदन दाखिल करने का प्रावधान करता है।

पेटेंट सहयोग संधि प्रणाली: पीसीटी वह प्रणाली है जो आवेदक को पीसीटी करार करने वाले देशों में प्रायिकता तारीख से 12 महीने के स्थान पर, 30-31 महीने के भीतर आवेदन दाखिल करने का प्रावधान

करती है। पीसीटी न केवल समय अवधि का विस्तार कराता है बल्कि एक ही आवेदन दाखिल करने का प्रावधान कर प्रक्रिया को सरल बनाता है। पीसीटी प्रणाली नेशनल फेज में प्रवेश करने से पहले आवेदन के प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय खोज और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण का प्रावधान भी करती है।

76. पेटेंट सहयोग संधि (पीसीटी) क्या है?

पीसीटी 150 से अधिक संधि करने वाले देशों के बीच की गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो संधि और विनियमों में निर्धारित कई औपचारिक अपेक्षाओं के अधीन है। पीसीटी किसी आविष्कार के लिए कई पृथक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करने के बजाय एक ही अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल कर एक साथ बहुसंख्यक दशों में अपने आविष्कार पर पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करना संभव बनाता है, इनके लिए राष्ट्रीय फेज आवेदन दाखिल करने के बाद पेटेंट अनुदान का कार्य राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों के अधीन ही रहता है तथा राष्ट्रीय फेज आवेदन का आकलन उस क्षेत्राधिकार के पेटेंट विधान के अनुसार होता है।

भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 यथा संशोधित पेटेंट नियम, 2003 (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा यथा संशोधित नियम के अनुसार कोई भी पीसीटी आवेदन भारत को नामित करते हुए दाखिल किया जा सकता है और उसे आवेदन माना जाएगा यदि इसके राष्ट्रीय फेज आवेदन भी दाखिल किए गए हों।

77. पीसीटी की प्रक्रिया क्या होती है?

पीसीटी प्रक्रिया में शामिल है:

क. **फाइलिंग:** RO/IN के साथ एक अंतरराष्ट्रीय आवेदन राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालय में या सीधे वाइपो के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो में पीसीटी औपचारिक अपेक्षाओं को पूरा करते हुए शुल्क के साथ दाखिल करें। भारत में पीसीटी आवेदन क्षेत्रीय सीमाओं के आधार पर निर्धारित उपयुक्त पेटेंट कार्यालय में यथा संशोधित (भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, के नियम 4 और यथा संशोधित पेटेंट नियम 2003) दाखिल किया जाता है।

ख. **अंतरराष्ट्रीय खोज:** एक अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी (ISA) प्रकाशित पेटेंट दस्तावेज और तकनीकी साहित्य (पूर्व कला) की पहचान करता है जिससे आपके आविष्कार के पेटेंट योग्य होने की संभावना प्रभावित हो सकती है और आपके आविष्कार के संभावित पेटेंट योग्यता पर लिखित विचार देता है। भारतीय पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा पेटेंट अधिनियम, 1970 यथा संशोधित और यथा संशोधित पेटेंट नियम, 2003 की पंचम अनुसूची के निर्दिष्ट विहित शुल्क की प्राप्ति पर ISA का कार्य निष्पादित करता है।

ग. **अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन:** आवेदन की सबसे पहली तारीख (प्रायिकता तारीख) से 18 महीने की समाप्ति के बाद आपके अंतरराष्ट्रीय आवेदन की विषय-वस्तु दुनिया के सामने प्रकट कर दी जाती है।

घ. **अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण (वैकल्पिक) :** कोई एक ISA अनुरोध करने पर अतिरिक्त पेटेंट योग्यता विश्लेषण संचालित करता है जो सामान्यतया आपके आवेदन का संशोधित संस्करण पर होता है। भारतीय पेटेंट कार्यालय, दिल्ली शाखा यथा संशोधित पेटेंट अधिनियम 1970 और यथा संशोधित पेटेंट नियम 2003 की पांचवी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट विहित शुल्क की प्राप्ति के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण (IPEA) का कार्य निष्पादित करता है।

ङ **राष्ट्रीय फेज:** अंतरराष्ट्रीय पीसीटी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद आपके आरंभिक आवेदन दाखिल करने की सबसे पहली तारीख से सामान्यतया 30 महीनों के भीतर, जहाँ से आप प्रायिकता का दावा करते हैं, आप जिस देश में अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ के राष्ट्रीय (या क्षेत्रीय) पेटेंट कार्यालयों में आपके पेटेंट अनुदान के लिए स्वयं प्रयास करना होगा।

च. भारत में राष्ट्रीय फेज में प्रवेश करने की अधिकतम समय-सीमा 31 माह है। राष्ट्रीय फेज में प्रवेश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आवेदन फॉर्म 1 पर करना होगा।

78. पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करने का अधिकार किसे है?

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन पीसीटी संधि करने वाले देशों के किसी नागरिक या प्रवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। यदि उस अंतरराष्ट्रीय आवेदन में कई आवेदनों का नाम हो तो उनमें से किसी एक के लिए उन अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक होगा।

79. क्या मैं पीसीटी आवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल कर सकता हूँ?

पीसीटी आवेदन RO/IN या RO/IB के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किया जा सकता है जो ऐसे आवेदन स्वीकार किए जाते हैं (भारतीय पेटेंट कार्यालय पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन की पूर्ण ई-फाईलिंग स्वीकार नहीं करता है।) वाइपो वेब सेवा (ePCT-filing) प्रविष्ट आँकड़ों की अपने आप पुष्टि कर देता है और गलत या असंगत भरे भागों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवेदन तैयार करने में आपकी सहायता करता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से (https://pct.wipo.int/) आवेदन दाखिल करने वाले आवेदकों को पीसीटी शुल्क में कुछ छूट भी दी जाती है। वाइपो का PCT-SAFE सॉफ्टवेयर पीसीटी उपयोक्ता को अंतरराष्ट्रीय आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार करने में (https:www.wipo.int/pct-safe/en/) के माध्यम से सहायता करता है।

80. पीसीटी आवेदन किस भाषा में दाखिल किया जा सकता है?

भारत में पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन उपयुक्त कार्यालय में तीन प्रतियों में या तो अंग्रेजी या हिन्दी में दाखिल किया जाना चाहिए। हालाँकि, अनुरोध केवल अंग्रेजी में दाखिल किया जा सकता है।

81. पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करने और इस पर कार्यवाही करने पर क्या लागत आती है? नेशनल फेज में प्रवेश करने की लागत क्या है?

पीसीटी आवेदक अपने अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के साथ तीन प्रकार के शुल्क का भुगतान करते हैं:

(क) अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग शुल्क

(ख) खोज शुल्क जो चयनित आइएसए के अनुसार बदल सकती है, और

(ग) एक छोटी पारंतरण शुल्क जो प्राप्तकर्ता कार्यालय के अनुसार बदल सकती है।

भारत में नामित अंतरराष्ट्रीय आवेदन के लिए शुल्क संरचना हेतु कृपया यथा संशोधित पेटेंट अधिनियम 1970 और पेटेंट नियम 2003 की पंचम अनुसूची का संदर्भ लें।

82. क्या पीसीटी के तहत शुल्क में कोई छूट उपलब्ध है?

आवेदन के प्रकार और दाखिल आवेदन के फॉर्मेट के आधार पर उन आवेदकों के लिए पीसीटी शुल्क छूट उपलब्ध है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन करते हैं।

इसके अतिरिक्त, विकासशील देशों के आवेदकों द्वारा पीसीटी प्रणाली के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय फाइलिंग शुल्क सहित कुछ शुल्कों के लिए 90% की छूट प्राकृतिक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।

कुछ आईएसए अंतरराष्ट्रीय खोज शुल्क में छूट उपलब्ध कराते हैं यदि आवेदक कुछ देशों के नागरिक या प्रवासी हों। (PCT Applicant's Guide WIPO का Annex D देखें)

83. पीसीटी प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

i. अधिकांश मामलों में आपके अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करने के समय से 18 अतिरिक्त महीने (अथवा जिस प्रारंभिक पेटेंट आवेदन की प्रायिकता का दावा किया गया है उसे दाखिल करने की तारीख से सामान्यतया 30 महीने) पृथक पेटेंट कार्यालयों के साथ राष्ट्रीय फेज प्रक्रिया शुरू करने से पहले और राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए है।

ii. यह अतिरिक्त समय जिस देश में आप पेटेंट सुरक्षा प्राप्त करने की योजना रखते हैं वहाँ पेटेंट प्राप्त करने और उस आविष्कार का वाणिज्यिक दोहन करने की संभावना का आकलन करने के लिए उपयोगी होता है और उन देशों में आपके आविष्कार का तकनीकी मान और सुरक्षा की सतत आवश्यकता दोनों का मूल्यांकन करता है।

iii. यद्यपि, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय फेज में प्रवेश करने से पहले आपको आपके पेटेंट आवेदन दाखिल करने की पहली तारीख (प्रायिकता तारीख) से 30 महीने की समाप्ति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है - आप राष्ट्रीय फेज में जल्दी प्रवेश करने का अनुरोध हमेशा कर सकते हैं।

iv. राष्ट्रीय फेज के दौरान प्रत्येक पेटेंट कार्यालय आपके आवेदन का परीक्षण अपने राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट विधान, विनियमन और व्यवहारों के अनुसार करने के लिए उत्तरदायी हैं, पेटेंट के परीक्षण और अनुदान के लिए अपेक्षित समय सभी पेटेंट कार्यालयों में अलग-अलग होती है।

84. किसी पूर्व पेटेंट आवेदन की "प्रायिकता दावा" का अर्थ क्या होता है?

सामान्यतया, वे पेटेंट आवेदक जो एक देश से अधिक देशों में अपने आविष्कार पर सुरक्षा लेना चाहते हैं वे पहले अपने राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालय में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट आवेदन दाखिल करते हैं और उस पहले आवेदन को दाखिल करने की तारीख से 12 महीनों के भीतर वे पीसीटी के तहत अपना अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल करते हैं।

किसी पूर्व पेटेंट आवेदन की प्रायिकता का दावा करने का प्रभाव यह है कि पेटेंट इस अंतराल में किए गए किसी कार्य, जैसे दूसरी फाइलिंग आविष्कार का प्रकाशन या विक्रय के कारण अमान्य नहीं माना जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय खोज:

85. क्या कोई आवेदक पीसीटी आवेदन की अंतरराष्ट्रीय खोज के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय का चयन ISA/IPEA के रूप में कर सकता है?

हाँ, भारतीय पेटेंट कार्यालय पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी और अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है जिसने 15 अक्टूबर, 2013 से कार्य करना प्रारंभ किया है। भारतीय ISA में खोज के लाभ हैं:

i. यहाँ पेटेंट और गैर-पेटेंट साहित्य का एक वृहद संकलन उपलब्ध है जिससे पीसीटी में न्यूनतम दस्तावेज देना शामिल है, हमारा एकीकृत खोज प्लेटफॉर्म IPEA एक क्लिक में सूचना के विस्तृत संग्रह में खोज संचालित करता है।
ii. पेशेवर, दक्ष और सक्षम परीक्षक हमारी पूँजी हैं।
iii. भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय ने तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों को समाहित करते हुए कार्यालय में एक गुणता प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया प्रणाली तेजी से निपटान और वास्तविक समय आधार पर सूचना का प्रसार सुनिश्चित कराता है।
iv. ISA/IPEA के तहत खोज संचालित करने का शुल्क समान सुविधा उपलब्ध कराने वाले अन्य कार्यालयों में सबसे कम है।

v. साथ ही, यदि आवेदक भारतीय ISA का चयन करता है तो उसे त्वरित परीक्षण प्रणाली में प्रवेश करने का अतिरिक्त लाभ मिलता है जो उसके आवेदन पर 12 महीनों के भीतर पेटेंट अनुदान प्राप्त करना सुनिश्चित करता है (बशर्ते कि कोई अनुदान-पूर्व विरोध दाखिल न किया गया हो)

86. पीसीटी द्वारा खोज संचालित करने के लिए नियुक्त अन्य कार्यालय कौन-कौन हैं?

पीसीटी संधि करने वाले देशों द्वारा अंतरराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी (ISA) के रूप में निम्न कार्यालयों की नियुक्ति की गई है: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, चीली, इजिप्ट, फिनलैंड, भारत, इजरायल, जापान, कोरिया गणतंत्र, रूस गणसंघ, स्पेन, स्वीडन, यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय कार्यालयों के साथ-साथ निम्न क्षेत्रीय कार्यालय, यूरोपियन पेटेंट कार्यालय और नॉर्डीक पेटेंट संस्थान। किसी देश के नागरिक या प्रवासियों के लिए उपलब्ध किसी विशेष ISA का निर्धारण उस प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा होता है जहाँ अंतरराष्ट्रीय आवेदन दाखिल किया गया था। कुछ प्राप्तकर्ता कार्यालय एक से अधिक सक्षम ISA का विकल्प प्रदान करते हैं। यदि आपका प्राप्तकर्ता कार्यालय उनमें से एक है तो भाषा, शुल्क आदि संबंधी पृथक अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आप इनमें से किसी एक कार्यालय का चयन कर सकते हैं।

87. पीसीटी अंतरराष्ट्रीय खोज क्या है?

पीसीटी अंतरराष्ट्रीय खोज उस भाषा में संबद्ध पेटेंट दस्तावेज और अन्य तकनीकी साहित्य का उच्च कोटि का खोज है जिस भाषा में अधिकांश पेटेंट आवेदन दाखिल किया गया है (चीनी, अंग्रेजी, जर्मन और जापानी तथा कुछ मामलों में फ्रांसीसी, कोरियाई, रूसी और स्पैनिश) खोज की उच्च गुणता पीसीटी में देखे जाने वाले दस्तावेज और ISA, जो सभी अनुभवी पेटेंट कार्यालय हैं, के योग्य कर्मी और एकरूप खोज पद्धति में निहित मानकों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इन खोज परिणामों और आपके आविष्कार की संभावित पेटेंट योग्यता पर ISA के लिखित विचार का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट में किया जाता है।

88. अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट क्या है?

अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट में मुख्यत: उन प्रकाशित पेटेंट दस्तावेज और तकनीकी जर्नल लेखों का संदर्भ सूचीबद्ध होता है जिससे अंतरराष्ट्रीय आवेदन में प्रकट किए गए आविष्कार की पेटेंट योग्यता प्रभावित हो सकती है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक सूचीबद्ध दस्तावेज के वे सूचक दर्शाए गए हैं जिससे नवीनता और आविष्कारिता (अप्रकट) के संदर्भ में महत्वपूर्ण पेटेंट योग्यता प्रश्नों का संदर्भ संभावित है। इस रिपोर्ट के साथ ISA पेटेंट योग्यता पर एक लिखित विचार तैयार करता है जो आपके आविष्कार की संभावित पेटेंट योग्यता का विस्तृत विश्लेषण देगा। ISA आपको अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट और लिखित विचार भेजेगा।

89. अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट का मान क्या है?

यह रिपोर्ट पीसीटी संधि करने वाले देशों में पेटेंट प्राप्त करने के आपके अवसर का आकलन करने में सहायता करती है। एक अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट जो सकारात्मक है, अर्थात, जिसमें उल्लिखित दस्तावेज पेटेंट अनुदान को रोकने वाले नहीं दिखाई पड़ते, उन देशों में आपके आवेदन की आगे की प्रक्रिया में आपकी सहायता करते हैं जहाँ आप सुरक्षा पाने के इच्छुक हैं। यदि यह खोज रिपोर्ट सहायक नहीं है (उदाहरण के लिए यदि यह ऐसे दस्तावेज दिखाती है जो आपके आविष्कार की नवीनता और/या आविष्कारिता को चुनौती देती हो), तो आपके पास आपके अंतरराष्ट्रीय पेटेंट आवेदन के दावे में संशोधन का अवसर प्रदान करती है (ताकि आपका आविष्कार उन दस्तावेजों से पृथक दिखे) और उसे प्रकाशित करवा सकते हैं अथवा प्रकाशन से पहले आवेदन को वापस ले सकते हैं।

90. क्या सभी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए अंतरराष्ट्रीय खोज की जाती है?

i) नियमानुसार, सभी अंतरराष्ट्रीय आवेदनों के लिए अंतरराष्ट्रीय खोज संचालित की जाती है। हालांकि, ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ ISA खोज नहीं कर पाता है। उदाहरणस्वरूप, वैसे अंतरराष्ट्रीय आवेदन जिसकी विषय वस्तु की खोज करना ISA के लिए आवश्यक नहीं है या यदि विवरण, दावे या आरेख एक अर्थपरक खोज संचालित करने के लिए उपयुक्त रूप से स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे मामले में, ISA एक उद्घोषणा जारी करेगा कि अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा।

ii) ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ ISA एक आंशिक खोज रिपोर्ट जारी करता है। यह तब होता है जब ISA की नजर में अंतरराष्ट्रीय आवेदन में एक से अधिक आविष्कार हैं लेकिन आवेदक ने उन अतिरिक्त आविष्कार (आविष्कारकों) की खोज के लिए अपेक्षित कार्य का समावेश करने के लिए अतिरिक्त खोज शुल्क का भुगतान नहीं किया है।

91. अंतराष्ट्रीय खोज प्राधिकारी का लिखित विचार क्या होता है?

अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट स्थापित करने के साथ-साथ प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय आवेदन के लिए ISA एक प्रारंभिक और अबाध्यकारी विचार स्थापित करेगा कि खोज रिपोर्ट परिणाम के आलोक में वह आविष्कार पेटेंट योग्य मानदंड को पूरा करता है या नहीं। वह लिखित विचार, जो अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ आपको भेजी जाती है, आपके अंतरराष्ट्रीय आवेदन की विषय-वस्तु के विशिष्ट संदर्भ में खोज रिपोर्ट के परिणामों को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायता करता है, जो पेटेंट प्राप्त करने के आपके अवसर के आकलन में विशेष सहायक होता है। लिखित विचार आवेदन के समय ही आम जनता को उपलब्ध करा दिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन

92. पीसीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन में क्या-क्या शामिल होता है?

प्रायिकता तारीख से 18 महीने की समाप्ति (यदि यह उससे पहले वापस ना लिया गया हो) के तुरंत बाद वाइपो अंतरराष्ट्रीय आवेदन का प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ कर देता है। पीसीटी अंतरराष्ट्रीय आवेदन का प्रकाशन ऑनलाइन PATENTSCOPE, पर किया जाता है जो एक शक्तिशाली, पूर्णतया खोज योग्य तथा नमनीय, बहुभाषी इंटरफेस और अनुवाद व्यवस्था है जिससे उपयोक्ता और आम जनता को प्रकाशित आवेदनों की विषय-वस्तु समझने में सहायता मिलती है।

93. क्या अंतरराष्ट्रीय आवेदन की फाइल में निहित दस्तावेज कोई तीसरा पक्ष देख सकता है? यदि हाँ, तो कब?

अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन होने तक (प्रायिकता तारीख से 18 महीने के बाद) किसी भी तीसरे पक्ष को आपका अंतरराष्ट्रीय आवेदन देखने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि आवेदक के रूप में आप ऐसा अनुरोध या प्राधिकार ना दें। यदि आप अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं (और आप ऐसा अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन के पहले करते हैं), तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन नहीं किया जाता, फलत: तीसरे पक्ष को आवेदन देखने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि, जब अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन होता है तो कुछ दस्तावेज PATENTSCOPE पर प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय आवेदन के साथ उपलब्ध करा दिए जाते हैं, उदाहरणस्वरूप, ISA का लिखित विचार और लिखित विचार पर अनौपचारिक टिप्पणी।

अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण:

94. अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण क्या है?

अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण आविष्कार की संभावित पेटेंट योग्यता का एक दूसरा मूल्यांकन है जिसमें उसी मानक का प्रयोग होता है जिस पर ISA का लिखित विचार आधरित है। अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट में चिन्हित दस्तावेज और ISA के लिखित विचार में दिए गए निष्कर्ष को पराजित करने के लिए यदि आप अपने अंतरराष्ट्रीय आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण ही परीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करने और राष्ट्रीय फेज में शामिल होने से पहले परीक्षक के बताए तथ्यों को प्रभावित करने की क्षमता की एकमात्र संभावना है- आप संशोधन और तर्क पस्तुत कर सकते हैं और आप परीक्षण के साथ साक्षात्कार के भी पात्र होंगे। इस प्रक्रिया के अंत में पेटेंट योगयता पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट (IPKP अध्याय II) जारी किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी (IPEAs) जो अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण संचालित करते हैं, वे ऊपर वर्णित ISA होते हैं। सदर्भगत पेटेंट आवेदन के लिए एक या अधिक सक्षम IPEAs हो सकते हैं, आपका प्राप्तकर्ता कार्यालय इसका विवरण देगा या आप पीसीटी आवेदक की गाइड और पीसीट न्यूजलेटर देख सकते हैं।

95. पेटेंट योगयता पर अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का मान क्या होता है (अध्याय II)?

IPRP (अध्याय II) में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट योग्यता मानदंड के अनुपालन संबंधी वे विचार समाहित होते हैं जिसमें से प्रत्येक दावे की खोज की गई है। यह आपको पेटेंट प्राप्त करने के आपके अवसरों का एक अधिक मजबूत आधार प्रदान करता है, अधिकांश मामलों में संशोधित आवेदन पर, और यदि रिपोर्ट सहायक हो तो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालयों में आपका आवेदन जारी रखने का एक मजबूत आधार बनता है। पेटेंट अनुदान करने का दायित्व उन प्रत्येक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय कार्यालयों का होता है जहाँ आप राष्ट्रीय फेज के लिए शामिल हो रहे हैं; इन कार्यालयों द्वारा IPRP (अध्याय II) पर विचार किया जाना चाहिए लेकिन यह उनके लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

राष्ट्रीय फेज:

96. मैं किस प्रकार राष्ट्रीय फेज में शामिल हो सकता हूँ?

यह तब ही संभव होगा यदि आप अपने उस अंतरराष्ट्रीय आवेदन पर आगे की कार्यवाही और किस राज्य में, करना चाहते हैं जबकि आपको राष्ट्रीय फेज में शामिल होने की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। इन अपेक्षाओं में राष्ट्रीय शुल्क का भुगतान करने के साथ-साथ कुछ मामलों में आवेदन का अनुवाद दाखिल करना भी शामिल है। यह सारे कार्य पीसीटी संधि करने वाले देशों में से अधिकांश के संदर्भ में प्रायिकता तारीख से महीने की 30 तारीख की समाप्ति के पहले करने होंगे। राष्ट्रीय फेज में प्रवेश करने संबंधी अन्य अपेक्षाएं भी होंगी जैसे स्थानीय एजेंट की नियुक्ति। राष्ट्रीय फेज में शामिल होने संबंधी अतिरिक्त आम सूचना, पीसीटी आवेदक की गाइड, राष्ट्रीय फेज से पाई जा सकती है तथा संबद्ध शुल्क और राष्ट्रीय अपेक्षाओं से संबंधित विशिष्ट सूचना उसी गाइड में पीसीटी संधि करने वाले प्रत्येक देश के राष्ट्रीय अध्याय में देखी जा सकती है।

97. राष्ट्रीय फेज में मेरे आवेदन के साथ क्या होता है?

जब आप राष्ट्रीय फेज में प्रवेश करते हैं तो संबद्ध राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पेटेंट कार्यालय यह निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि वे आपको पेटेंट अनुदान दे सकते हैं या नहीं। इन कार्यालयों द्वारा किया जाने वाला कोई भी परीक्षण पीसीटी अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट और लिखित विचार द्वारा आसान बनाया जाता है तथा अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण रिपोर्ट इसे और भी सरल बना देता है।

98. पेटेंट सहयोग संधि के क्या लाभ हैं?

पीसीटी प्रणाली में आवेदक, पेटेंट कार्यालय और आम जनता के लिए कई लाभ होते हैं :

(क) पीसीटी का प्रयोग नहीं करने की तुलना में अब आपके पास 18 महीने की अधिक अवधि है जिसमें आप विदेशों में सुरक्षा प्राप्त करने, बाहर के प्रत्येक देश में स्थानीय पेटेंट एजेंट नियुक्त करने, आवश्यक अनुवाद तैयार करवाने तथा राष्ट्रीय शुल्क का भुगतान करने पर विचार कर सकते हैं;

(ख) यदि आपका अंतरराष्ट्रीय आवेदन पीसीटी द्वारा निर्धारित स्वरूप में है तो इस आवेदन की राष्ट्रीय फेज प्रक्रिया के दौरान किसी पीसीटी संधिकर्ता पेटेंट कार्यालय द्वारा औपचारिक आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है;

(ग) अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट और लिखित विचार में आपके आविष्कार की संभावित पेटेंट योग्यता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना रहती है, जिससे आगे की कार्यवाही संबंधी व्यावसायिक निर्णय लेने में आपको एक मजबूत आधार मिलता है;

(घ) आपके पास वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण के दौरान अंतरराष्ट्रीय आवेदन में संशोधन करने, परीक्षक के साथ बात कर अपने मामले में तर्क प्रस्तुत करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा कार्यवाही करने से पहले अपने आवेदन को व्यवस्थित करने का अवसर रहता है;

(ङ) अंतरराष्ट्रीय आवेदन के साथ दिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट, लिखित विचार और जहाँ प्रयुक्त हो, पेटेंट योग्यता पर अंतरराष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट के कारण राष्ट्रीय फेज में पेटेंट कार्यालयों के खोज एवं परीक्षण कार्य को बहुत कम किया जा सकता है;

(च) आप उन संधिकर्ता देशों में राष्ट्रीय फेज में परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने में सक्षम होंगे जिनके बीच पीसीटी पेटेंट प्रासिक्यूशन हाइवे (PCT-PPH) सहमति या समान सहमति बनी हुई है;

(छ) प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय आवेदन के एक अंतरराष्ट्रीय खोज रिपोर्ट के साथ प्रकाशित होने के कारण तीसरे पक्ष अपने दावा किए गए आविष्कार की संभावित पेटेंट योग्यता का आकलन करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं;

(ज) एक आवेदन के लिए, अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन प्रकाशन विश्व को आपके आविष्कार की जानकारी देता है। आप लाइसेंसिंग सहमति के निष्कर्ष में PATENTSCOPE पर अपनी रुचि प्रकाशित कर सकते हैं जो विज्ञापन और संभावित लाइसेंसधारी तलाशने का एक प्रभावी साधन हो सकता है;

(झ) आपको दस्तावेज तैयार करने, संचार और अनुवाद पर अन्य बचत भी होती है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य प्रत्येक कार्यालय के समक्ष सामान्यतया दोहराया नहीं जाता है (जैसे, प्रायिकता दस्तावेज की कई प्रतियां दाखिल करने के स्थान पर आपको केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है) ; और

(ञ) यदि अंतरराष्ट्रीय फेज की समाप्ति पर आपका आविष्कार पेटेंट योग्य नहीं पाया जाता तो आप पीसीटी आवेदन का त्याग कर सकते हैं और विदेशों में सुरक्षा के लिए सीधे किए जाने वाले आवेदन प्रत्येक बाहरी देश में स्थानीय पेटेंट एजेंट नियुक्त करने, आवश्यक अनुवाद तैयार करवाने तथा राष्ट्रीय शुल्क का भुगतान करने पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं।

99. ePCT क्या है?

ePCT वाइपो की वह ऑनलाइन सेवा है जो पीसीटी के तहत दाखिल किए गए उन अंतरराष्ट्रीय आवेदनों की फाइल तक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पहुँच प्रदान करती है जो अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की निगरानी में हैं। आवेदक अंतरराष्ट्रीय आवेदन ePCT फाइलिंग का प्रयोग करते हुए RO/IN के साथ-साथ RO/IB लिखकर भी दाखिल कर सकते हैं।

100. ePCT के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के क्या लाभ हैं?

- आवेदक समय-समय पर वाइपो की पीसीटी शाखा द्वारा निर्धारित शुल्क में कमी का लाभ उठा सकते हैं।
- RO के साथ-साथ आवेदक के लिए भी यह कम कठिन है।
- त्वरित प्रक्रिया।
- रिकॉर्ड कॉपी उसी दिन IB को भेजी जाती है।